खण्ड विकास अधिकारी, अफजलगढ़ (बिजनौर) जन–सूचना के अधिकार के अन्तर्गत 16 बिन्दुओं पर सूचना		
क्र.सं.	बिन्दु	बिन्दुवार सूचना
1	2	3
1	अपने संगठन की विशिष्टियां कृत्य और कर्तव्य	विकास खण्ड का मुख्य कार्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से ग्रामों का विकास करना तथा ग्रामीण क्षेत्र की जनता के लिए सरकार द्वारा चलाये जा रहे विकास कार्यो की जानकारी उनको उपलब्ध कराना तथा उसका लाभ जनता तक पहुंचाना है। जैसे राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत में होने वाले कार्यो में मजदूरी के इच्छुक व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना साथ ही शासन द्वारा निर्धारित रू0 100 प्रति दिन की दर से एक व्यक्ति को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है। स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना के अन्तर्गत बी.पी.एल की श्रेणी में आने वाले परिवारों को समूह के रूप में संगठित कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मिलकर काम करने का प्रशिक्षणदेकर संगठित होकर काम करने के लाभों की जानकारी कराते हुऐ समूह को ऋण / अनुदान की धनराशि का लाभ दिलाकर उनके द्वारा उत्पादित सामान को स्थानीय / बाहर लगने वाली प्रदर्शनी में रखकर उसकी मांग बढ़ाने के साथ उससे होने वाले लाभ को समूह तक पहुंचाना है। इसी प्रकार इन्दिरा आवास योजना / महामाया आवास योजनान्तर्गत गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले आवास विहीन परिवारों को आवास की सुविधा हेतु शासन द्वारा निर्धारित प्रति आवास अनुदान धनराशि अंकन रू0 35000.00 लाभार्थी को बैंक खाते के माध्यम से उपलब्ध कराकर उसका आवास बनवाया जाना है। वृद्धावस्था, निराश्रित महिला तथा विकलांगों को जो पात्रता की श्रेणी में आते है, उनको पेंशन की सुविधा उपलबध कराना है जिससे उसका जीवनयापन सुविधापूर्वक चल सकें। इसी प्रकार राज्य वित्त / बारहवां वित्त आयोग की धनराशि जो विकास खण्ड / ग्राम पंचायतों को प्राप्त होती है उससे ग्राम में सड़कें / नालियों का निर्माण कराकर क्षेत्र का विकास किया जाता है। अम्बेडकर विशेष रोजगोर योजना के अन्तर्गत ग्राम

		में पूर्व से कर रहे कार्यो को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से इस योजना के अन्तर्गत इनको. ऋण / अनुदान की सुविधा देकर लाभान्वित किया जाता है जिससे इनका व्यवसाय और प्रगतिशील हो जाये इनका सामाजिक एवं आर्थिक विकास भी हो जाये।
2	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य	कर्मचारी एवं अधिकारी राज्य सरकार के आधीन है, जो राज्य सरकार द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग कर सरकार द्वारा समस समय पर लागू की जा रही योजनाओं को शासकीय कार्यहित में कर्तव्यपरायणता से पूरा कराते है।
3	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।	क्रम से निम्न अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत है। विकास खण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारीगण, अवर अभियन्तागण, कार्यालय सहायकगण, ग्राम विकास अधिकारीगण, ग्राम पंचायत अधिकारीगण, जीप चालक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण एवं स्वीपर कम चौकीदार आदि कार्यरत है। शासन द्वारा संचालित कार्यक्रम का संचालन / पर्यवेक्षण किया जाता है। मुख्य कार्यालय विकास भवन बिजनौर में स्थित है।
4	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा निर्धारित मापमान	मुख्य विकास अधिकारी बिजनौर नियन्त्रण अधिकारी का पद सृजित है। जिनके नियन्त्रण में रह कर सभी विभागीय अधिकारी / कर्मचारी शासकीय कार्य सम्पन्न करते है।
5	अपने द्वारा या अपने नियन्त्राधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम , विनियम, अनुदेश, निर्देशिकाओं और अभिलेख	इस संस्था में खण्ड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारीगण, अवर अभियन्तागण, कार्यालय सहायक ग्राम विकास अधिकारीगण, ग्राम पंचायत अधिकारीगण जीप चालक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण और स्वीपर कम चौकीदार कार्यरत है जिनके द्वारा शासनादेश एवं पूर्व घोषित नियमावली के अनुसार कार्य करते हुए अभिलेख सुरक्षित रखे जाते है।
6	ऐसे दस्तावेजों की श्रेणी का विवरण जो उनके द्वारा धारित किये गये है अथवा उनके नियन्त्रण में है।	शासन द्वारा प्रदत्त अभिलेख पूर्ण कर सुरक्षित रखे जाते है। नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर समय समय पर उनका अवलोकन एवं अंकेकक्षण किया जाता है।
7	किसी व्यवस्था का विवरण जिसमें उसकी नीति निर्माण अथवा उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में लोक सदस्यों के साथ परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है।	इस संस्था की एक कमेटी क्षेत्र पंचायत है, जो ग्राम पंचायत के अतिरिक्त ग्रामों के विकास की कार्ययोजन क्षेत्र पंचायत सदस्यों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर तैयार कर उसको कार्यान्वित करती है।

8	बोर्ड परिषदों और अन्य अनकायों के विवरण जिसमें दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति हो और जिसकी स्थापना इस के भाग के रूप में अथवा इसकी सलाह के प्रयोजन के लिए की गयी हो और वह विवरण कि क्या इन बोर्डो,परिषदों, समितियों तथा अन्य निकायों की बैठक लोगों के लिए खुली है? अथवा ऐसी बैठक के कार्यवृत्त लोगो के लिए सुलभ है।	इस संस्था की एक कमेटी क्षेत्र पंचायत है, जो ग्राम पंचायत सदस्यों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर कार्ययोजना तैयार कर उसको कार्यान्वित करती है। शासन द्वारा बोर्ड, परिषदों और अन्य समितियों के गठन का कोई प्राविधान नही है। इस संस्था द्वारा क्षेत्र पंचायत / विकास खण्ड द्वारा अनुमादित कार्य ही सम्पादित कराये जाते है।
9	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका	इस संस्था के कर्मचारी राज्य सरकार के नियन्त्रण में उनके मार्ग निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते है और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए कार्य करते है।
10	अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक परिश्रमिक, जिसमें उसके विनियमों में यथाउपबंधित प्रतिकर प्रणाली सम्मिलित हो।	विभागीय नियमावली के अनुसार कर्मचारियों के मासिक आंकड़े जिला विकास अधिकारी बिजनौर के माध्यम से आयुक्त ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश लखनऊ को उपलब्ध कराये जाते है।
11	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्ट की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुऐ अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट।	इस संस्था को बजट जिला योजना, राज्य योजना एवं केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत प्राप्त होता है। जिसका समूचित उपभोग नियमानुसार करने के उपरान्त उच्चाधिकारियों को प्रत्येक माह के अन्त में विवरण तैयार कर प्रस्तुत किया जाता है।
12	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्यौरे सम्मिलित है।	सहायिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास खण्ड को कोई बजट आवंटित नहीं किया जाता है।
13	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों , अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टिया।	शासन के निर्देशानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन लाभार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिये किया जाता है।

14	किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हो या उनके द्वारा धारित हो।	विकास खण्ड द्वारा समस्त सूचनायें उच्चाधिकारियों को संकलित कर समय से भेजी जाती है।
15	सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सूचनाओं की विशिष्टियों जिसमें किसी पुस्तकालय या वाचनालय कक्ष के यदि लोक उपभोग के लिये अनुरक्षित है तो कार्यकरण ही सम्मिलित हो।	वाचनालय नागरिकों के लिए उपलब्ध है परन्तु पुस्तके अत्यधिक पुरानी होने के कारण जनता की उनमे रूचि नहीं है।
16	जन सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां।	विकास खण्ड स्तर पर सहायक जनसूचना अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी (पं०) है।

खण्ड विकास अधिकारी
अफजलगढ़।